न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 130/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 12.10.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मदनमोहन आत्मज छीतरलाल जाति मीना
2. हेमराज पुत्र छीतरलाल जाति मीना
निवासीगण ग्राम बैंगनी तहसील व जिला बांरा राज0।

... अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामरतन मीना अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक

:::निर्णय:::

दिनांक 4.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 19/16 प्रार्थना पत्र धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान मदनमोहन बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 19.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का इस आशय का पेश किया कि उसके खाते मे ग्राम बेंगनी मे ख0 नं0 202 रकबा 1.87 है0, ख0 नं0 962 रकबा 0.46 है0, ख0 नं0 1042/201 रकबा 0.23 है0 आराजी स्थित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक ख0 नं0 719 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के नये ख0 नं0 962 रकबा 0.46 है0 दर्ज कर गत रकबे मुकाबले 0.38 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था। अपीलांट आराजी पर पूर्वानुसार काबिज काश्त है केवल राजस्व रिकार्ड मे भूमि कम दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर ख0 नं0 962 का रकबा 0.46 है0 के स्थान पर 0.84 है0 रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर तदानुसार नक्शे को दुरूस्त कियां जावे। उपखण्ड अधिकारी बांरा ने राजस्व लोक अदालत केम्प बैगना मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही होने से निर्णय/आदेश दिनांक 19.5.2017 से खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि मौके पर आराजी पूरी है किन्तु दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 962 का रकबा गत रकबे के मुकाबले 0.38 है0 कम दर्ज किया गया था जिसको रेकार्ड मे दुरूस्त किया जाकर ख0 नं0 962 रकबा 0.46 है0 के स्थान पर 0.84 है0 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड एवं तद्नुसार नक्शे को दुरूस्त किया जाना था। अपीलांट आज भी पूर्वानुसार पूरी आराजी पर काबिज है तथा कमी रकबे को अपीलांट कानूनन दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.5.2017 केम्प बैंगना पर कोई निर्णय नही सुनाया तथा बाद मे मालूम करने के लिये कहा गया बाद मे कई बार निर्णय की जानकारी की किन्तु जानकारी नही मिल सकी। दिनांक 4.9.2017 को अदालत मे प्रार्थना पत्र खारिज करने की जानकारी मिलने

अति० स० आर्०
कोटा

पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य पेश है। अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बांरा का निर्णय दिनांक 19.5.2017 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी का रकबा पूरा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक ख0 नं0 719 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के नये ख0 नं0 962 रकबा 0.46 है0 दर्ज कर गत रकबे मुकाबले 0.38 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था। अपीलांट आराजी पर पूर्वानुसार काबिज काश्त है केवल राजस्व रिकार्ड मे भूमि कम दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर ख0 नं0 962 का रकबा 0.46 है0 के स्थान पर 0.84 है0 रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर तदानुसार नक्शे को दुरूस्त जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प मे राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, इत्यादि का अवलोकन किये बिना ही प्रा0 पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार कर रेकार्ड दुरूस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश करते हुये स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे निर्णय की जानकारी 4.9.2017 को होना वर्णित करते हुये उक्त आशय का मदनमोहन द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य अविश्वसनीय होने संबधी कोई आधार अभिलेख अपील पत्रावली मे उपलब्ध नही है अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निम्नानुसार निर्णय किया जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 19.5.2017, कमी रकबा किसके खाते मे बढा है, साबित नही कर पाना वर्णित करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 बावत इन्द्राज दुरूस्ती, खारिज किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प बेंगना मे उक्त निर्णय राजस्व रेकार्ड नई पुरानी जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा का अवलोकन किये बिना तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही पारित किया है जो न्यायोचित नही है। पत्रावली एवं जेरअपील निर्णय दिनांक 19.5.2017 के अवलोकन से अपीलांट के उपरोक्त तर्क की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे उक्त निर्णय राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा आदि का अवलोकन किये बिना तथा बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये दस्तावेजात का समुचित परीक्षण किये बगेर राजस्व लोक अदालत केम्प बेंगना मे पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी रकबा किसके खाते मे बढा है अपीलार्थी/प्रार्थी साबित नही कर पाने के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन विधिसम्मत एवं न्यायोचित नही है क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बारां के विरूद्ध पेश किया गया था। कानूनन तहसीलदार लेण्ड होल्डर होता है एंव भूमि संबधी अभिलेख उसके द्वारा संधारित किये जाते है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजस्व रिकार्ड तहसीलदार से वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रकबा बरारी करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का विधिसम्मत निस्तारण करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे उक्त विवेचित तथ्यो का अभाव रहा है ऐसी

स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 19.5.2017 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 19/16 प्रार्थना पत्र धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान मदनमोहन बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 19.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय/आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 4.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा